

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) नगर न्याय/मुख्यमंत्री के निर्माण की स्वीकृति स्वायत्त प्राप्त नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, आधिकारिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य भारत सरकार की आवधिक निगम को सुचित करेगा ।
- (iv) स्वायत्त नकशे को विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रखल डिब्बकी क्षेत्रल आवासीय प्रयोजनकी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 6/8 दिनांक 02/02/2020

श्रीमती जयल नन्दनी क/0 श्री रामरत्न राजपुरोहित

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 875/- जमा

जरिये रसीद संख्या 200/3165, 3166

दिनांक 02/02/2020 को जमा करा दी है ।

02/02/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जनक

Abhishek (Signature)

Mobile: 8568711424

पती +  
आवासीय